न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 30/2020

शीर्षक

1 ओमप्रकार पुत्र बनवारी लाल
2 मालीराम पुत्र हरसहाय
3 सुभाष पुत्र हरसहाय
4 अमरसिंह पुत्र हरसहाय सभी जाति मीणा निवासी ग्राम बागावास चौरासी तहसील विराटरगनर जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1 महादेव पुत्र लक्ष्मण जाति मीणा निवासी जाजैखुर्द तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
2. उप पंजीयक उप पंजीयक कार्यालय शाहपुरा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 26.10.2021

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वादपत्र पेश किया गया कि हाल आराजी खसरा नं0 246/3 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम जाजैखुर्द तहसील शाहपुरा में स्थित है जिसकी पूर्व में खातेदारी वादीगण के बुजुर्ग हरसहाय पुत्र सुल्तान जाति मीणा के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2068–71 में दर्ज है। खातेदार हरसहाय के फौत होने के बाद उक्त आराजी खसरा नम्बर 246/3 की भूमि जरिये विरासत नामान्तकरण सं0 474 निर्णय दिनांक 25.3.2014 से वादीगण के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2068 से 2071 खाता सं0 310 व जमाबन्दी सं0 2072 से 2075 के खाता सं0 14 में दर्ज रही है। वादीगण के बुजुर्ग हरसहाय पुत्र सुल्तान ने प्रतिवादी सं0 1 से भूमि हाल खसरा नम्बरा 245 रकबा 0.20 है0 ख0नं0 246 रकबा 0.38 है0 वाकै ग्राम जाजैखुर्द तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का 1/3 हिस्सा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 23.4.1997 से खररीद कर उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त किया है तथा नामान्तकरण सं0 121 से उक्त भूमि की खातेदारी हरसहाय पुत्र सुल्तान के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है। उक्त खरीदशुदा भूमि के कानूनी बंटवचारे से ही भूमि हाल ख0नं0 246/3 रकबा 0.20 है0 की भूमि की खातेदारी वादीगण के बुजुर्ग हरसहाय के नाम राजस्व रिरकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हुई है बाद बंटवारा वादीगण के बुजुर्ग हरसहाय का उक्त भूमि हाल ख0नं0 246/3 रकबा 0.20 है0 भूमि पर कब्जा काश्त रहा है। इस प्रकार प्रतिवादी सं0 1 च अन्य किसी व्यक्ति का उक्त भूमि ख0नं0 246/3 रकबा 0.20 है0 भूमि पर किसी तरह का कोई कब्जा कास्त व हक अधिकार नहीं है। वर्तमान में भी उक्त भूमि पर वादीगण ही काबिज रहकर उपयोग व उपभोग करते आ रहें है।

यह है कि माह जुलाई 20 में वादीगण ने उक्त भूमि का किसान केडिट कार्ड बनवाने के लिए जमाबन्दी की नकल निकलवाई तो पता कि उक्त विवादित आराजी ख0नं0 246/3 की खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी दर्ज है जबकि उक्त भूमि से प्रतिवादी सं01 महादेव को कोई सम्बन्ध सरोकार व कब्जा कास्त नहीं है। प्रतिवादी सं01 से वादीगण ने सम्पर्क किया तो प्रतिवादी सं0 1 ने कहा कि उक्त भूमि पर तुम्हारा ही कब्जा है मेरा उक्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है मेरा उक्त भूमि की जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में बंटवारे की डिकी से गलत रूप से नाम दर्ज हो गयी है इस समय मेरी तबीयत खराब चल रही है स्वस्थ होते ही न्यायालय में चलकर राजस्व रिकार्ड तुम्हारे नाम करवा दूंगा । इसके बार वादीगण ने कई मर्तबा प्रतिवादी सं01 को रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा किन्तु बार बार प्रतिवादी सं0 1 टालमटोल करता चला आ रहा है । वादीगण ने रिकार्ड की जांच की तो पता चला कि उनवानी प्रकरण चौथमल बनाम महादेव मु0नं0 13/2014 दावा बाबात बंटवारा में वादीगण को पक्षकार बनाये बिना उक्त भूमि ख0नं0 246/3 की खातेदारी निर्णय व डिकी दिनांक 11.7.2015 को लोकअदालत कैम्प देवन में प्रतिवादी सं0 1 के नाम भूमि दर्ज कर दी जो सरासर गलत है । प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के खिलाफ है प्रतिवादी सं0 1 को उक्त निर्णय व डिकी से ख0नं0 246/3 रकबा 0.20 है0 की भूमि पर कोई हक अधिकार पैदा नहीं होते है, उक्त दावा दायरी के समय ख0नं0 246/3 की खातेदारी वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी कानूनन बंटवारे के दावे में सभी खातेदार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है तथा जमाबन्दी में दर्ज खातेदार को प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार सुनवाई का अवसर दिया जाना नितान्त आवश्यक है उक्त प्रकरण में वादीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया हैं इसलिए उक्त विवादित आराजी के सम्बन्ध में पारित निर्णय व

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

डिक्री दिनांक 11.7.2015 वादीगण के हक अधिकारों के विरूद्व शुरू से ही शुन्य व अवैध व बेअसर है।

वादीगण के द्वारा प्रतिवादी सं0 1 को खातेदारी भूमि वादीगण के नाम दुरूस्त करवाने के लिए वाद दायरी से 2 दिवस पूर्व कहने पर प्रतिवादी सं01 एकदम भडक गया तथा रिकार्ड दुरूस्ती से मना कर दिया तथा एलानियां धमकी दी कि राजस्व रिकार्ड के आधार पर भूमि दीगर लठैत व्यक्तियों को विक्रय कर ताकत के बल पर कब्जा छुडवा लूंगा जिससे वादीगण को काफी आघात पहुॅचा तथा वाद पत्र न्यायालय में पेश करना आवयश्यक हुआ । प्रतिवादी सं0 1 अपने उक्त अवैध मन्सूबों पर कामयाब हो गया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 को स्थायी निष्धेघाज्ञा से सदैव के लिए पाबन्द किया जावे कि वादीगण के कब्जा कास्त में किसी प्रकार की दखलदांजी पैदा नहीं करें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गए। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं0 1 के व अन्य के विरूद्व दिनांक 1.3.2021 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रकरण में कानूनी सिद्वान्तो के अनुरूप एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने के बाद वादीगण की ओर से शपथ पेश किये गये ।तथा वकील वादी को एक पक्षीय बहस में सुना गाया । वकील वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में वाद पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करवाई तथा दावा वादी के हक में डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया ।

प्रकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया । प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवातिद आराजी साबिक खसरा नम्बर 246 व 245 कुल रकबा 0.58 है0 भूमि वादीगण के बुजुर्ग हरसहाय पुत्र सुल्तान मीना ने प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्से को जरिये विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक 23.4.97 को खरीद किया गया तथा जिसका वादीगण के बुजुर्ग हरसहाय के पक्ष में नामान्तकरण सं0 121 निर्णय दिनांक 20.9.98 स्वीकृत होने पर भूमि नाम दर्ज होना साबित होता है तथा इसके पश्चात जमाबन्दी सं0 2068 से 2071 में विवादित आराजी का बंटवारा होने से खसरा नम्बर 246/3 रकबा 0.20 है0 भूमि वादीगण के बुजुर्ग हरसहाय के नाम खातेदारी में दर्ज होना तथा खातेदार हरसहाय की विरासत का नामान्तकरण सं0 474 दिनांक 25.3.2014 के द्वारा वादीगण के भूमि नाम दर्ज होना साबित होता है । जमाबन्दी सं0 2072 से 2075 में भी भूमि वादीगण के नाम दर्ज होना पाया गया । प्रकरण में पाया गया कि इस न्यायालय में उनवानी प्रकरण चौथमल बनाम महादेव मु0नं0 13/2014 दावा बाबत बंटवारा में वादीगण जो कि आराजी ख0नं0 246/3 के खातेदार थे को पक्षकार नहीं बनाया जाकर राजस्व लोक अदालत कैम्प देवन में दावा प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से में विवादित भूमि बंटवारे में दी गई है जबकि यह आवश्यक था कि प्रकरण में खातेदार को पक्षकारा बनाया जाकर उसे सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधि के अनुसार दावा डिक्री किया जाना नितान्त आवश्यक था लेकिन प्रस्तुत उनवानी प्रकरण 13/2014 में वादीगण जो कि खातेदार कास्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज थे को पक्षकार तक नहीं बनाया जाकर दावा डिक्री किया गया है । इस प्रकार वादीगण की अपने नाम दर्ज भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज हो गई जो कि गलत व अवैध है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी सं0 1 को जरिये सम्मन्न तलबी की गई लेकिन बावजूद विधिवत तामिल के प्रकरण में उपस्थित नहीं आये जिससे यह भी जाहिर होता है कि प्रतिवादी सं0 1 ने कुछ तथ्य उनवानी प्रकरण चौथमल बनाम महादेव में छुपाकर पेश किया है जिससे प्रतिवादी सं0 1 के हक में विवादित आराजी की खातेदारी नाम दर्ज होनें की डिक्री जारी होने से भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम होना साबित होता है।वादीगण की ओर से पेश किये गये शपथ पत्रों से भी यही जाहिर होता है कि विवादित आराजी ख0नं0 246/3 पर वादीगण ही काबिज कास्त है । इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर जाहिर है कि खातेदार हरसहाय के द्वारा उक्त विवादित आराजी जरिये विक्रय पत्र से खरीद कर भूमि बंटवारे से प्राप्त होना तथा वादीगण को जरिये विरासत से भूमि खातेदारी में दर्ज होना साबित होने के साथ साथ विवादित आराजी प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में बंटवारा के दावे में खातेदारों को बिना पक्षकार बनाये ही डिक्री के द्वारा प्राप्त होना साबित होता है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण के हक में डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादीगण के हक में डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 346/3 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम जाजैखुर्द तहसील शाहपुरा के प्रतिवादी सं0 1 महादेव पुत्र लक्ष्मण का नाम हजफ कर वादीगण संख्या 1 से 4 को बहिस्सा बराबर बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । प्रतिवादीगण 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । तहसीलदार शाहपुरा को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु लिख जावे । तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हों ।

निर्णय आज दिनांक 26-10-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । मुन्नावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर